

न्यायालय:- श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन (म0प्र0)

क्रमांक 139 /आप./2023

खरगोन, दि. 18/01/2023

:: आदेश ::

मैं श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को **माह फरवरी व मार्च-2023** में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिए अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	माह	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक
1	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	19
		मार्च	5, 18, 22
2	सुश्री अंजली पटेल जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	12, 18
		मार्च	7, 19, 26
3	श्री विवेक मॉल जेएमएफसी खरगोन	फरवरी	5, 26
		मार्च	9, 12, 30
4	श्री महेन्द्र सिंह जेएमएफसी मण्डलेश्वर	फरवरी	18, 19
		मार्च	5, 9, 19, 26
5	सुश्री स्वाती शर्मा, जेएमएफसी मण्डलेश्वर	फरवरी	5, 12, 26
		मार्च	7, 12, 18, 22, 30
6	श्री जितेन्द्र रावत जेएमएफसी महेश्वर	फरवरी	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में
		मार्च	
7	श्री विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद	फरवरी	18, 19
		मार्च	5, 9, 19, 26
8	श्री राकेश भिड़े जेएमएफसी कसरावद	फरवरी	5, 12, 26
		मार्च	7, 12, 18, 22, 30
9	सुश्री विकसीता मरकाम जेएमएफसी, बडवाह	फरवरी	19
		मार्च	5, 18, 19
10	श्रीमती आरती सिंह, जेएमएफसी, बडवाह	फरवरी	5, 12
		मार्च	9, 12, 30
11	श्री मुकेश कुमार कौरी जेएमएफसी, बडवाह	फरवरी	18, 26
		मार्च	7, 22, 26
12	श्री सुशील गेहलोत जेएमएफसी, सनावद	फरवरी	18, 19
		मार्च	5, 9, 19, 26
13	सुश्री पूर्वी तिवारी जेएमएफसी, सनावद	फरवरी	5, 12, 26
		मार्च	7, 12, 18, 22, 30
14	श्री फरहान मसूद कुरैशी जेएमएफसी भीकनगाँव	फरवरी	12, 26
		मार्च	5, 9, 19, 26
15	श्री तेजसिंह गोण्ड जेएमएफसी भीकनगाँव	फरवरी	5, 18, 19
		मार्च	7, 12, 18, 22, 30

नोट:-

- 1- जहाँ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।
- 2- यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो वह उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को लिखित सूचना देकर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।
- 3- माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो मुख्यालय पर उसकी निरन्तरता वाली तिथि से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।
- 4- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त अधिकारी के स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे। मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने अथवा पदभार ग्रहण न करने की दशा में रिमांड ड्यूटी उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट संपादित करेंगे।
- 5- यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निर्धारित तिथियों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित की जाती है तो संबंधित अधिकारिता में रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारू रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी के निष्पादन में आवश्यक सहयोग किया जावेगा।
- 6- यदि रिमांड ड्यूटी के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी या फरारी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाये तो संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेज सकते हैं।

(पद्मा राजौरे तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 140/आप./2023

खरगोन, दिनांक 18/01/2023

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमान् कलेक्टर, खरगोन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, खरगोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि रिमांड ड्यूटी आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- श्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी खरगोन/भीकनगाँव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- अध्यक्ष अभिषाषक संघ, खरगोन/भीकनगाँव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर, महेश्वर/कसरावद की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

(पद्मा राजौरे तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)